दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

निर्णय दिनांक :– 17/03/26

वादीगण की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 47 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 37/232 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. नहरी मय रास्ता, प.नं. 37/233 किला नं. 1/1/.190, 9, 10, 11, 12/1/.013, 20, 21 की 1.468 हैक. नहरी मय रास्ता, प.नं. 38/233 किला नं. 1 ता 25 की 6.325 हैक. नहरी मय खाला रास्ता इस प्रकार कुल 14.118 हैक. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी भूमि में प्रतिवादी सं.1 चेतराम के नाम दर्ज 3.395 हैक. भूमि का वादी सं. 1 जसराम, प्रतिवादी सं. 2 जयमलराम के नाम दर्ज 3.264 हैक. भूमि का वादी सं. 2 रामेश्वर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड से चेतराम, जयमलराम का नाम कलमजन किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा